



Order Sheet [Contd]

9

Case No. of 20

195/16 CRA

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.11.2016	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष पेश किया गया ।</p> <p>प्रकरण में अपीलार्थी संदीप उपस्थित है उसके साथ उसके अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह उपस्थित हैं ।</p> <p>शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>प्रकरण का आहत/फरियादी पंचमसिंह न्यायालय में उपस्थित हैं । फरियादी पंचम सिंह की पहचान श्री बृजराजसिंह गुर्जर अधिवक्ता ने की ।</p> <p>उपस्थित उभयपक्षकार ने लोक अदालत का आवेदनपत्र एवं ड्रॉकेट पर अपने हस्ताक्षर कर पेश किये तथा आपस में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान किये जाने वाबत आवेदन धारा 320(2) जा0फो0 का पेश किया तथा साथ ही राजीनामा आवेदनपत्र भी पेश किया ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 323,325 भा0द0सं0 में दोषी ठहराते हुये धारा 325 भा0द0सं0 में 6 माह के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है ।</p> <p>धारा 325 भा0द0सं0 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य धारा है । उभयपक्षकार ने आपसी सहमति के आधार पर बिना किसी छर दबाव के आपस-में राजीनामा करना व्यक्त किया है । राजीनामा वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है ऐसी दशा में प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से पेश राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया । अपीलार्थी को धारा 325 भा0द0सं0 के अंतर्गत 6 माह के कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है ।</p>	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>। राजीनामा स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के आपस में किया जाना प्रतीत होता है । ऐसी दशा में राजीनामा आवेदन स्वीकार कर <u>अपीलार्थी/आरोपी</u> संदीप उर्फ संजू को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया धारा 325 भा0द0सं0 में दी गयी 6 माह की कारावास की सजा को अपास्त करते हुये <u>अपीलार्थी/आरोपी</u> संदीप उर्फ संजू को धारा 325 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।</p> <p>अपीलार्थी/आरोपी की ओर से विचारण न्यायालय में जमा किया गया अर्धदण्ड की राशि वापिस किये जाने का आदेश दिया जाता है ।</p> <p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजा जाये ।</p> <p>परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: center;">  (सीबीआई केस नं. 19) पी.डी.ओ. अधिकारी एवं सत्र न्यायाधीश/मैजिस्ट्रेट </p>	<p style="text-align: right;">  9/11/19 </p>